भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1967

गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर क्षमता संस्थापनाओं में गिरावट</u>

1967. सुश्री एस. जोतिमणिः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में सौर क्षमता संस्थापनाओं में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सौर क्षमता संस्थापित करने के लिए कोई राजसहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(ड़) क्या यह भी सच है कि कतिपय मामलों में सौर क्षमता के लिए राजसहायता निर्धारित व्यक्ति तक नहीं पहुंची है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग और संस्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नई नीति/योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): देश में सौर क्षमता संस्थापनाओं में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई है, जिसे अनुलग्नक-**I** में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ): सरकार, विभिन्न योजनाओं के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ब्यौरे अनुलग्नक-**II** में दिए गए हैं।

(ङ) और (च): केवल रूफ-टॉप सौर योजना के तहत सौर क्षमता के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों को सब्सिडी जारी की जाती है। इस योजना के तहत, कभी-कभी सब्सिडी प्राप्त न होने/देरी का हवाला देते हुए शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके कारणों में अन्य के साथ-साथ परियोजना समापन रिपोर्ट में कमियाँ, दावे करने/सीएफए के वितरण में देरी और बैंक खाते के विवरण में त्रुटियाँ शामिल हैं। ऐसी शिकायतों को समाधान और सब्सिडी दावों के संवितरण के लिए संबंधित डिस्कॉमों को भेजा जाता है।

(छ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 29.11.2023 को प्रधानमंत्री जनजति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय अंशः 15,336 करोड़ रुपये और राज्य अंशः 8,768 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ नौ संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से ग्यारह महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुमोदन दिया। इस योजना में, अन्य के साथ-साथ, ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के क्षेत्रों में एक लाख गैर-विद्युतीकृत परिवारों का सौरीकरण शामिल है, जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसके अलावा, इसमें पीवीटीजी क्षेत्रों में 1500 बहुउद्देशीय केंद्रों में सौर लाइटें देने का प्रावधान शामिल है।

अनुलग्नक-**I**

'सौर क्षमता संस्थापनाओं में गिरावट' के संबंध में पूछे गए दिनांक 14.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1967 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

| वित्त वर्ष | वर्ष के दौरान स्थापित सौर क्षमता (मेगावाट) | संचयी क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|
| 2020-21 | 5629 | 41236 |
| 2021-22 | 12761 | 53997 |
| 2022-23 | 12784 | 66780 |

अनुलग्नक-**II**

'सौर क्षमता संस्थापनाओं में गिरावट' के संबंध में पूछे गए दिनांक 14.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1967 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में दिए जा रहे प्रोत्साहन

| योजना/कार्यक्रम | योजना के अनुसार इस समय पात्र प्रोत्साहन |
|---|---|
| क) ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं | (i) आवासीय क्षेत्र के लिए<br>• 3 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)<br>• 3 किलोवाट पीक से अधिक और 10 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए<br>• 500 किलोवाट पीक तक की जीएचएस/आरडब्ल्यूए क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए (प्रति मकान 10 किलोवाट पीक तक और कुल 500 किलोवाट पीक तक सीमित)<br>(ii) डिस्कॉमों के लिए -<br>बेसलाइन से अधिक क्षमता वृद्धि में उपलब्धियों के आधार पर, परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक प्रोत्साहन।<br><br>मंत्रालय ने अपने दिनांक 27.01.2023 के का.ज्ञा. के तहत, देशभर के लिए सीएफए निर्धारित किया है। संशोधित सीएफए दरें, सभी भविष्य की बोलियों और इस का.ज्ञा. के जारी होने के 15 दिनों के बाद बंद होने के लिए निर्धारित बोलियों के लिए लागू होंगी।<br><br>संशोधित दरें इस प्रकार हैं:<br><br>सामान्य श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए:<br>i. व्यक्तिगत परिवार – पहले 3 किलोवाट के लिए: 14,588/- रु. प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक एवं 10 किलोवाट तक की आरटीएस क्षमता के लिए: 7,294/- रु. प्रति किलोवाट।<br>ii. आवासीय कल्याण समितियों/समूह आवास सोसायटी (आरडब्ल्यूए/जीएचएस) – 500 किलोवाट पीक तक की समान सुविधाओं के लिए प्रति मकान 10 किलोवाट पीक की दर से 7,294/- रु. प्रति किलोवाट।<br><br>विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए:<br>i. व्यक्तिगत परिवार – पहले 3 किलोवाट के लिए: 17662/- रु. प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से अधिक एवं 10 किलोवाट तक की आरटीएस क्षमता के लिए: 8831/- रु. प्रति किलोवाट।<br>ii. आवासीय कल्याण समितियों/समूह आवास सोसायटी (आरडब्ल्यूए/ जीएचएस) – 500 किलोवाट पीक तक की समान सुविधाओं के लिए प्रति मकान 10 किलोवाट पीक की दर से 8831/- रु. प्रति किलोवाट। |
| ख) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)। | प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी संगठनों, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता। |

| | |
|---|---|
| ग) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम' | लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है: (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा, (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (अधिकतम विद्युत की क्षमता एवं ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट)); और (iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि का प्रतिशत। |
| घ) सौर पार्क योजना | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक।<br><br>अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो। |
| ङ) पीएम-कुसुम योजना | घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना।<br><br>उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।<br><br>घटक-ख: 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना।<br><br>उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।<br><br>घटक-ग: फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए सहित 35 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण।<br><br>उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण: सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।<br><br>(ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण: एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। |
| च) हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना<br><br>(अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली के विकास के लिए) | जीईसी चरण-I: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।<br><br>जीईसी चरण-II: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता। |

*****